प्रेस विज्ञप्ति

28.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स (जीएमएम), हिसार, हरियाणा, वेदपाल सिंह तंवर और अन्य के मामले में 56.97 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। नकदी, बैंक जमा, आभूषण, महंगी लग्जरी कारों आदि के रूप में चल संपत्तियां, जिनका मूल्य 4.81 करोड़ रुपये है, तथा फार्महाउस, कृषि भूमि, आवासीय भूखंड, आवासीय मकान, फ्लैट, वाणिज्यिक कार्यालय के रूप में अचल संपत्तियां, जिनका मूल्य 52.16 करोड़ रुपये है, कुर्क की गई हैं।

ईडी ने मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स (जीएमएम) और अन्य के खिलाफ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा पर्यावरण संरक्षण (ईपी) अधिनियम, 1986 के तहत दायर अभियोजन शिकायत और हरियाणा पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि वेदपाल सिंह तंवर ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके मेसर्स जीएमएम का गठन किया और वर्ष 2019 में 'पत्थर और संबद्ध लघु खनिज' के खनन के लिए हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम गांव में स्थित 'दादम हिल' का खनन पट्टा प्राप्त किया और पर्यावरण संरक्षण (ईपी) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन क्षेत्र से बाहर अवैध और अवैज्ञानिक खनन करके गलत तरीके से धन अर्जित किया, जिससे राजकोष को नुकसान हुआ और उन्हें तदनुरूप लाभ हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में व्यापक अवैध खनन के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई।

इससे पहले, अपराध की आय का पता लगाने और जब्त करने के लिए तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 4.81 करोड़ रुपये की नकदी, बैंक जमा, आभूषण, लग्जरी कारें आदि सहित अपराध संकेती दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान, मेसर्स जीएमएम के प्रमुख व्यक्ति वेदपाल सिंह तंवर को 30/05/2024 को ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था। माननीय विशेष न्यायालय, साकेत ने ईडी को 10.06.2024 तक वेदपाल सिंह तंवर की हिरासत दी थी और उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वर्तमान में वह चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं।

ईडी की जांच में पता चला है कि अवैध और अवैज्ञानिक खनन से आरोपी व्यक्तियों ने 78.14 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की और इसका इस्तेमाल चल और अचल संपत्तियों की खरीद और अधिग्रहण में किया गया । जांच के दौरान, आरोपियों की 56.97 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई, जिसमें से 78.14 करोड़ रुपये की उपरोक्त मात्रा वाली अपराध की आय को कुर्क कर लिया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।